सत्यमेव जयते

भारत सरकार,
विकास आयुक्त का कार्यालय,
सीप्ज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र ,
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096.
टेलि: 022-28294719 / 28294750
फैक्स: 022-28291754, ई-मेल : dcseepz-mah@nic.in

परिपत्र संख्या 199/017-18 दिनांक 07.7.2017

विषयः- दावा प्रस्तुत करने के संबंध में सीप्ज़ सर्विस सेंटर में "सहायता पटल(काउंटर एसिंस्टेन्स" की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के संबंध में ।

व्यापार एवं उद्योग का ध्यान विदेश व्यापार नीति 2015-16 के पैरा 6.11 (सी) के साथ पठित दिनांक 208.2015 के कार्यालय परिपत्र संख्या 67/2015 की ओर आकर्षित कराया जाता है जिसमें सीएसटी दावों के प्रक्रिया विनिर्दिष्ट की गई है । उपर्युक्त के अतिरिक्त सीएसटी दावों के शीघ्र निपटान के लिए प्रक्रिया पुस्तिका 2015-2020 के पैरा 9.09 के अनुसार सहायता पटलकी सुविधा उपलब्ध कराए जाने का भी प्रावधान है ।

इस मामले की पुनः जांच की गई तथा इस संबंध में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए यह निर्णय किया गया कि आगे से सीएसटी दावों पर कार्रवाई किए जाने के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगीः-

1. आवेदक को सीप्ज़ सर्विस सेंटर में स्थापित "पटल सहायता" में प्रक्रिया पुस्तिका 2015-2020 के परिशिष्ट 6 एच तथा दिनांक 20.8.2015 के परिपत्र संख्या 67/2015में जैसाकि अनुबंधित है, के अनुसार आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची के साथ सीएसटी दावे का आवेदन हाथ से अथवा प्राप्त पटल में ड़ाक द्वारा प्रस्तुत करना है ।
2. सीएसटी दावों की प्रतिपूर्ती से संबंधित आवेदन "पटल सहयता" में सोमवार से शुक्रवार के दौरान 1.00 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे । आवेदनों की प्राप्ति के पश्चात सीएसटी दावों पर कार्रवाई करने वाला अनुभाग दस्तावज़ों की प्रारंभिक संवीक्षा करेगा । इस प्रकार सभी दृषियो से पूर्ण पाए जाने वाले आवेदन / दावे प्रस्तुत किए जाने के समय के आधार पर उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस को "पटल सहायत" के रूप में चिन्हित करके दावेदार को दे दिए जाएंगे । इसके पश्चात प्राप्ति पटल पर इनकी पावतियां दी जाएंगी । कार्य दिवस को 1.00 बजे के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों को अगले कार्य दिवस के दिन ही"पटल सहायता" उपलब्ध कराई जाएगी ।

   डाक द्वारा प्राप्त होने वाले आवेदनों के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाइ जाएगी ।
3. "पटल सहयता" उपलब्ध कराए जाते समय जो आवेदन अपूर्ण पाए जाएंगे अथवा जिनमें कमिया पाई जाएंगी ऐसे आवेदनों को उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस को बीना दावा पंजीकृत किए तथा कमी दर्शाने वाले मेमो के साथ जिसमें दिनांक 20.8.2015 के परिपत्र में विनिर्दिष्ट दस्तावेज़ों की अपूर्ण सूची का विवरण दिया गया होगा, अनुभाग प्रभारी के हस्ताक्षर से दावेदार को लौटाया जाएगा ।

4. इस प्रकार लौटाए गए दावे कार्यालय को प्रारंभिक सहायता पटलके दौरान बताई गई कमियों (ऊपर पैरा 3 में बताए गए के अनुसार) को दूर किए जाने के पश्चात प्राप्ति पटल पर पुनः प्रस्तुत किए जा सकते हैं तथा इनकी पावतियां दी जाएंगी ।

5. दावों का पंजीकरण किए जाने के पश्चात अनुभाग द्वारा परिशिष्ट 2 से संलग्न विवरण के साथ "सी" फार्मों की विस्तृत जांच की जाएगी तथा यदि किसी भी प्रकार की इनमें कोई कमी पाई जाती है जिसमें "सी" फार्मों के साथ परिशिष्ट 2 में भिन्नता / गलत घोषणा भी शामिल है, तो इन पर आनुपातिक रूप से कार्रवाई की जाएगी ।

जैसा की ऊपर बिंदु 5 में दर्शाया गया है, के अनुसार यदि कोई कमी पाई जाती है अथवा कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किए जाते है, तो दावा अस्वीकार्य होगा तथा यह दावेदार को लौटाया जाएगा । इस प्रकार अस्वीकृत किए जाने वाले दावे प्रक्रिया पुस्तिका 2015-2020 के पेरा 9.02 तथा 9.03 के अनुसार निर्धारित की गई समय सीमा के अंदर अनुपूरक दावों के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते है ।

6. यदि दावेदार चाहते हों कि उसे दावा के अंतिम रूप दिए जाने के पूर्व कमियों के संबंध में ऊन्हें सूचित किया जाए, तो इसके लिए ऊन्हें वचन देना होगा कि वे 30 दिनों के अंदर कमियों के दूर किए जाने / दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाने संबंधी प्रावधानों का अनुपालन करेंगे, ऐसा न करने पर उपलब्द दस्तावेज़ों के आधार पर दावों पर कार्रवाई की जाएगी ।

7. समाप्त होने वाली तिमाही की अंतिम तारीख को प्राप्त होने वाले सीएसटी दावे अधिक से अधिक 1.00 बजे तक ही "सहायता पटल" पर स्वीकार किए जाएंगे । इसके पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों के साथ उपलब्ध दस्तावेज़ों के आधार पर ही पूर्ववर्ती पैरा में जैसाकि उल्लेख किया गया के अनुसार स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किए जाएंगे ।

8. प्रक्रिया पुस्तिका 2015-2020 के पैरा 9.02 के अनुसार ही सभी अपेक्षित दस्तावेज़ों तथा कमियों, यदि कोई हो तो के अनुपालन किए जाने की तारीख से ही विलंब कटौती लागू होगी ।

9. यूनिटों से अनुरोध है कि वे निर्धारित समय - सीमा के अंदर ही सीएसटी दावे प्रस्तुत करें ताकि अंतिम तारीख को दावा प्रस्तुत करने के चलते होने वाली कठनाइयों से बचा जा सके ।

यह विकास आयुक्त, सीप्ज़ - सेज़ के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

(विजय प्रकाश शुक्ल)
संयुक्त विकास आयुक्त,
सीप्ज़ - सेज़

सं.सीप्ज-सेज़/आइए।।/सीएसटी/पीओएल/2013-14 | 13666 · दिनांक 07 जुलाई, 2017

प्रति,

महाराष्ट्र, गोवा, दीव, दमण तथा दादरा नगर हवेली में स्थित सभी ईओयू यूनिट

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA,
विकास आयुक्त का कार्यालय/ OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER,
सीप्ज़ – विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE,
वणिज्य और उद्योग मंत्रालय, MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई – 400 096. ANDHERI (EAST), MUMBAI – 400096
Tel: 022-28294719/28294750
Fax: 022-28291754, E-mail: dcseepz-mah@nic.in

सत्यमेव जयते

CIRCULAR NO.-199/2017-18 DATED 07.07.2017

Sub : Facility of "Counter Assistance" at SEEPZ Service Centre in respect of submission of claims

Attention of the trade and industries is invited to the para 6.11(c) of Foreign Trade Policy 2015-2020 read with office Circular no. 67/2015 dt. 20.08.2015 vide where procedure for CST claim has been defined. In addition to the above "Counter Assistance" has been provided in terms of para 9.09 of Handbook of Procedure 2015-2020 for the speedy disposal of the CST claims.

The matter has been re-examined and to remove the difficulties, it is decided that henceforth following procedure will be adopted for processing of the CST claims :-

1. Applicant has to submit the CST claim application, alongwith the required list of documents stipulated in the Appendix 6-H of Handbook of Procedures 2015-2020 and Circular no. 67/2015 dt. 20.08.2015 addressed to the "Counter Assistance" at SEEPZ Service Centre by hand or by post at "Receipt Counter".

2. Applications for re-imbursement of CST claim will be accepted upto 1.00 p.m. during Monday to Friday, at the "Counter Assistance". On receipt of the applications, the section dealing with CST claims will preliminary do the scrutiny of the documents. Applications/claims thus found complete in all respect will be given to the claimant **with a mark "Counter Assistance"** on the same day or next working day based on the time of submission. Thereafter acknowledgment will be provided at the Receipt Counter. Applications received after 1.00 p.m. on the working day, "Counter Assistance" will be provided on the next working day only.

   The same procedure will be made available for the applications received by post too.

3. While providing Counter Assistance, incomplete/deficient application will be returned to the claimant either on the same day or next working day of the submission of the claim without registering the claim, along with a deficiency memo indicating the incomplete list of documents specified in the said circular dt. 20.08. 2015 under the signature of the Section Incharge.

.....2/-

4. Such returned claims can be re-submitted to the office after compliance of all the deficiencies pointed out during the initial Counter Assistance (as indicated in para 3 above) at "Receipt Counter" and acknowledgement will be provided.

5. Detailed scrutiny of "C" form with the Statement to Annexure-II will be examined by the section subsequently after registration of the claim and if, found deficient in any manner including mismatch/wrong declaration in the statement to Annexure-II with the C form, the same will be processed proportionately.

   The deficiency/documents (as in point 5 above) thus found inadmissible will be returned to the Claimant and disallowed claims may be further claimed through supplementary claim within the time limit as prescribed in terms of para 9.02 and 9.03 of Handbook of Procedures 2015-2020.

6. If the claimants desires an intimation of deficiency before finalization of the claim, they should provide an Undertaking that they would comply with the deficiency/documents within 30 days, failing which, it will be processed on the basis of available documents.

7. CST claims received on the last date of the Quarter ending will be received at the "Counter Assistance" latest by 1.00 p.m. only and applications received thereafter will be accepted or rejected based on the available documents presented alongwith the application in a manner as mentioned in the preceeding para.

8. The late cut in terms of para 9.02 of the Handbook of Procedures 2015-2020 would be applicable from the date of compliance of all the required documents and deficiencies if any.

9. Units are requested to ensure timely submission of the CST claims so as to avoid the last day submission.

This issues with the approval of Development Commissioner, SEEPZ SEZ.

7/7/2017

(V.P. Shukla)
Jt. Development Commissioner
SEEPZ SEZ
July 07, 2017

No. SEEPZ SEZ:IA-II:CST:POL:2013-14: 13666

To,

All EOU Units located in Maharashtra, Goa Diu, Daman And Dadra Nagar Haveli